HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Writ Petition No. 74/2026

Talim S/o Sh. Khurshid, R/o Sahsan, Police Station Jurhera, District Deeg, State Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Department of Home Affairs, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
2. The District Collector, District Deeg.
3. The Superintendent of Police, Deeg.
4. SHO, Police Station Kaithwada, District Deeg.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Surendra Singh, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Vijay Singh Yadav Addl. GA

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

25/02/2026

1 याची/वाहन स्वामी की ओर से यह एकलपीठ आपराधिक रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 315 (एच) के अन्तर्गत, विद्वान न्यायालय–**जिला कलक्टर, डीग** द्वारा पुलिस थाना–**कैथवाड़ा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**137/2024**, अपराध अंतर्गत धारा– **3, 5/8 राजस्थान गोवंशीय अधिनियम** (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) में जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजिस्टर्ड नंबर–**आरजे05–जीबी–9622** को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या–**20/2025** में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 23–12–2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें 30 दिवस में जुर्माना राशि 3,50,000/– रुपये राजकोष में

जमा कराने पर जब्तशुदा वाहन को याची/वाहन स्वामी को सुपुर्दगी पर दिए जाने के आदेश दिए गए हैं।

2 विद्वान अधिवक्ता याची/वाहन स्वामी का तर्क है कि याची/वाहन स्वामी जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे05–जीबी–9622 का पंजीकृत स्वामी है, उक्त वाहन को प्रकरण में गलत रूप से संलिप्त किया गया है, उक्त वाहन के पुलिस अभिरक्षा में खड़े रहने से उसके खराब होने की संभावना है एवं वह उसके उपयोग व उपभोग से भी वंचित हो रहा है, उनका यह भी कथन है कि याची/वाहन स्वामी उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वह न्यायालय जिला कलक्टर, डीग द्वारा अधिरोपित शास्ति राशि को जमा कराने में असमर्थ है, अतः विद्वान न्यायालय जिला कलक्टर, डीग द्वारा पारित आलौच्य आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए याची/वाहन स्वामी को अधिरोपित राशि जमा कराने से छूट/मुक्ति प्रदान की जावे।

3 विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने उक्त रिट याचिका का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

4 मैंने याचिका का मय रिकॉर्ड एवं आलौच्य आदेश दिनांक 23–12–2025 का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

5 हस्तगत प्रकरण में पुलिस थाना कैथवाड़ा द्वारा दिनांक 02–08–2024 को प्रश्नगत वाहन जब्त किया गया है, तब से अर्थात् लगभग डेढ़ वर्षों से उसका पुलिस अभिरक्षा में खड़ा होना प्रकट होता है। याची/वाहन स्वामी को प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी होना बताते हुए उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होना बताया गया है, वाहन के पुलिस अभिरक्षा में पड़े रहने से उसके खराब होने की ना केवल संभावना है बल्कि उसका उपयोग भी उसका स्वामी नहीं कर पाएगा। परिणामतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यदि वाहन राजसात **(Confiscate)** नहीं हुआ हो तो, विद्वान न्यायालय जिला कलक्टर, डीग द्वारा अधिरोपित राशि 3,50,000/– रुपये राजकोष में जमा कराने की शर्त से याची/वाहन स्वामी को मुक्ति/छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6 परिणामतः विद्वान न्यायालय जिला कलक्टर, डीग द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 23–12–2025 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए, वाहन सुपुर्दगी के संदर्भ में अधिरोपित 3,50,000/– रुपये की राशि राजकोष में जमा कराने की शर्त से याची/वाहन स्वामी को, यदि वाहन राजसात **(Confiscate)** नहीं हुआ हो तो, छूट/मुक्ति प्रदान की जाती है, आदेश दिनांक 23–12–2025 का शेष भाग यथावत रहेगा।

7 तद्नुसार रिट याचिका एवं संलग्न प्रार्थना–पत्र यदि कोई हो तो निस्तारित किए जाते हैं।

(BHUWAN GOYAL),J

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /24